हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 41/2024 बआनवान बहादुर वगै. बनाम रामचंद वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अजीतसिंह राजावत आर ए एस

आदेश

दिनांक 18.07.2024

उपस्थिति

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री गुरूनामसिंह
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से अधिवक्ता श्री वांकाराम चौधरी

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलव किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए वताया कि अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। न्यायहित में अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के गैर खातेदार है। अपीलांटगण द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करके अपने पक्ष में भूमि का दो वर्ष पूर्व नियमन करवाया गया है। अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेंटस की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप किया जा रहा है। अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद एवं आवेदन में जबाव भी नहीं दिया गया है। मूल वाद के विचारण में रहते अपीलांटस द्वारा रेस्पोडेंटस के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो रेस्पोडेंटस को अपूरणीय क्षति कारित होगी। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किया:–RRT 2016(1) Page 424

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अपीलांटस अपीलाधीन आराजी का खातेदार है। एक खातेदार के विरूद्ध बिना सुनवाई का अवसर दिये स्थगन आदेश पारित किया गया जो न्यायोचित नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांटस के पक्ष में है। अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांटस को अपनी खातेदारी भूमि के उपभोग एवं उपयोग से वंचित किया जाता तो उसके हितों पर कुठाराघात होगा। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा अपीलांटस द्वारा पेश शपथ–पत्र पर विश्वास कर अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.06.2024 में संशोधन करते हुए अपीलांटस की खातेदारी भूमि को स्थगन से मुक्त किया जाता है तथा शेष स्थगन यथावत रहेगा। साथ ही मातहत अदालत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के आवेदन पर उभयपक्षक को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर यथासंभव शिघ्र निस्तारण कर विधि सम्मत आदेश पारित करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया।

(अजीतसिंह राजावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर